राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

क्रमांक एफ 1(1)आ0प्र0एवंसहा/सामान्य/2016/ 10276-92 जयपुर,दिनांक 15.9.17

जिला कलक्टर,
अजमेर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, चूरू,
जैसलमेर, जालोर, झालावाड़, जोधपुर, कोटा,
नागौर, पाली, राजसमन्द एवं उदयपुर, राजस्थान।

विषयः—खरीफ फसल 2016 (सम्वत् 2073) में प्रभावित किसानों को कृषि आदान अनुदान वितरण बाबत दिशा निर्देश।

महोदय,

राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) एवं राष्ट्रीय आपदा मोचन निधी (NDRF) के सहायता के मानदण्डों में बोई गई फसलों में 33 प्रतिशत या इससे अधिक का खराबा होने पर कृषि आदान अनुदान उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध मे प्रावधान है।

इस हेतु निम्न निर्देश प्रसारित किये जाते हैः—

1. जिला कलेक्टर्स द्वारा प्राथमिकता से पहले केवल 50 प्रतिशत से 100 प्रतिशत खराबा वाले पात्र लघु सीमान्त (SMF) व अन्य काश्तकारों को कृषि आदान अनुदान सहायता उपलब्ध कराई जानी है।

2. जिला कलक्टरों द्वारा कृषि आदान अनुदान वितरण एस.डी.आर.एफ. के निर्धारित मापदण्डानुसार दिये जा रहे निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुए सहकारी समितियों के बजाय सीधे ही पात्र काश्तकारों के बैंक खातों में ऑनलाईन (Online) जमा किया जायेगा।

3. कृषि आदान अनुदान वितरण हेतु समिति का गठन निम्न प्रकार किया जाता हैः—
जिला स्तरीय समितिः—जिला स्तर पर कलक्टर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाऐगा, जो कि जिले में इस योजना के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी होगी। समिति में MDCCB, कृषि एवं लीड बैंकस् ऑफिसर्स व DLBC के मैम्बर्स होंगे। इस समिति के द्वारा इस योजना के संबंध में सभी प्रकार के निर्णय/निर्देश एवं शिकायतों का निस्तारण किया जायेगा।

होंगे। इस समिति के द्वारा इस योजना के संबंध में सभी प्रकार के निर्णय/निर्देश एवं शिकायतों का निस्तारण किया जायेगा।

उपखण्ड स्तरीय उपसमितिः—उपखण्ड स्तर पर एसडीएम की अध्यक्षता में कृषि व BLBC के मैम्बर्स की एक उप समिति का गठन किया जायेगा जो कि अपने क्षेत्र में इस योजना के सुचारू क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी रहेगी।

ग्राम स्तरीय समितिः—इस समिति में सम्बन्धित गांव का पटवारी, ग्राम सेवक व कृषि पर्यवेक्षक सदस्य होंगे जो कि गांव में इस योजना की क्रियान्विति के लिए उत्तरदायी होंगे।

4. कृषि आदान अनुदान सहायता के लिए जमाबन्दी एवं गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर दो हैक्टयर तक भूमि धारिता वाले काश्तकार एवं दो हैक्टयर से अधिक भूमि धारिता वाले काश्तकार की 6 सूचियां पृथक्–पृथक् निम्न प्रारूप में तैयार की जाऐगीः—

कृषि आदान अनुदान हेतु पात्र कृषकों की सूची

ग्राम.. पटवार हल्का...तहसील..................

लघु व सीमान्त कृषक/अन्य कृषक   खराबा 33–50%/50–75%/75–100%

क्र. सं.	कृषक का नाम मय सकूनत	जमाबन्दी के आधार पर धारित कुल रकबा (हैक्ट. में)	गिरदावरी के आधार पर बोया गया कुल रकबा (हैक्ट. में)	बोये गये क्षेत्रफल में से रकबा खराबा (हैक्ट. में)	एसडीआरएफ/ एनडीआरएफ मानदण्डों के अनुरूप देय अनुदान	बैंक खाते का वितरण			अन्य विवरण		
						बैंक मय शाखा का नाम	IFSC Code	काश्तकार का खाता संख्या	भामाशाह कार्ड विवरण*	आधार कार्ड विवरण *	मोबाईल नम्बर*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

* यथा सम्भव यह सूचना भी एकत्रित की जाए।

हल्का पटवारी उक्त ग्राम स्तरीय समिति के माध्यम से अपने हल्के की सूचियां तैयार कर मय हस्ताक्षर राजस्व निरीक्षक को प्रेषित करेंगे और राजस्व निरीक्षक इन सूचियों को सत्यापित कर तहसीलदार को प्रेषित करेंगे, जो इनके आधार पर कृषि आदान अनुदान की स्वीकृति जारी करने के लिए प्राधिकृत होंगे। तहसील स्तर पर ग्रामवार कृषकों के बैंक खातों की फाईल संधारित (maintain) की जाएगी। जिसमें इन्डेक्स में alphabetically कृषक का नाम रहेगा व कृषकों के बैंक खाता विवरण की फोटो कॉपी संधारित (maintain) रहेगी।तहसीलदार से स्वीकृति के उपरान्त पटवारी द्वारा ग्राम सचिव व कृषि पर्यवेक्षक के सहयोग से पात्र कृषकों की सूची एवं उनको स्वीकृत

की गयी राशि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करेगा एवं इस सम्बन्ध में समस्त प्रक्रिया पारदर्शी होगी। इसके साथ ही तहसीलदार द्वारा अपनी तहसील के लिए इसी आधार पर आवश्यक बजट की मांग जिला कलक्टर से की जावेगी।

अकाल राहत गतिविधिया प्रारंभ करने से पूर्व ही सहायता के लिये पात्र काश्तकारों की संख्या निर्धारित कर विभाग को निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्रेषित की जायेगी तथा उन्हीं पात्र काश्तकारों को सहायता वितरित हो, यह सुनिश्चित किया जावे।

5. इस प्रयोजन हेतु **उसे ही काश्तकार माना जावेगा, जिसका नाम जमाबंदी में खातेदारी/सहखातेदार के रूप में दर्ज होगा।** सहखातेदार के हिस्से में आने वाले नोशनल हिस्से की गणना कर उसकी जोत (Holding) का आकार निकाला जावेगा। इसमें सभी काश्तकार के एक अथवा अधिक गांवों में विद्यमान सभी खातों को ध्यान में रखना होगा।

6. ऐसे कृषकों को भी कृषि आदान अनुदान दिया जा सकता है, जिनका नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है, किन्तु जिन्होंने भूमि पर ठेकेदारी/बाटेदारी से फसल की है। ऐसे किसान जिन्होने ठेकेपर फसल की है, वह बोई गई भूमि के खातेदार से 5/- रूपये के स्टाम्प पेपर पर सहमति प्राप्त कर तहसील स्तर पर गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इस प्रकार की समस्या के निर्णय हेतु सम्बन्धित तहसीलदार, ग्राम पटवारी तथा ग्राम सेवक की एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया जाए। यह समिति इस प्रकार के बिन्दुओं पर निर्णय लेकर निर्धारण करेगी कि राहत किसे दी जानी है। इसके लिए कृषक को अपने खातेदार की लिखित सहमति इस समिति को देनी होगी।

7. **असिंचित भूमि के संबंध में**:—जहां तक भूमि के सिंचित/असिंचित होने का प्रश्न है, चूंकि जिला अभावग्रस्त है तथा वर्षा भी पर्याप्त नहीं हुई है। अतः भूमि सिंचित श्रेणी में होने के पश्चात भी वस्तुतः बारानी/वर्षा आधारित ही रही है। ऐसी स्थिति में फसल खराबा वाली समस्त भूमि को असिंचित मानते हुए ही गणना की जावेगी।

8. **खातेदार जिले से बाहर का निवासी होने के संबंध में**:— यदि जिले में स्थित किसी कृषि भूमि की बुवाई की गयी है तो उसमें प्रभावित कृषक को फसल खराबे पर अनुदान दिये जाने के लिए उस कृषक का उसी जिले का निवासी होना जरूरी नहीं है। परन्तु कृषक से यह शपथ पत्र लेना जरूरी है कि अन्य जिलों में उसकी कोई कृषि भूमि नहीं है। किन्तु अन्य जिले में कृषि भूमि होने की स्थिति में उसके आधार पर गणना कर, पात्र होने पर ही जिले में स्थित खराबा क्षेत्र के आधार पर अनुदान दिया जाना है।

9. **गैर खातेदारी के संबंध में**:–गैर खातेदार को भी खातेदार के समान ही अनुदान हेतु पात्र माना जावे।

10. **मृतक खातेदार**:–मृतक खातेदारों के वैध उत्तराधिकारियों को इस राशि का भुगतान किया जा सकता है।

11. **विवादित भूमि के संबंध में**:–कृषि आदान अनुदान राशि, आपदा से प्रभावितों को बोई गई फसल में 33 प्रतिशत से अधिक खराबे के कारण तात्कालिक सहायता के रूप में दी जाती है। इस अनुदान राशि दिये जाने में भूमि संबंधित विवाद में संबंधित पक्षकारों के विधिक अधिकारों पर विपरित प्रभाव नहीं होगा व मालिकाना हक का निर्धारण माननीय न्यायालय के निर्णय के अध्यधीन होगा।

12. **मन्दिर माफी भूमि**:–कृषि आदान अनुदान सहायता रिकोर्डेड खातेदार के बैंक खाते में ऑनलाईन ही जमा करवाया जावे। यदि कोई ट्रस्ट बना हुआ है तो उसके खाते में कृषि आदान अनुदान राशि ऑनलाईन जमा करवाई जा सकती है।

13. **सरकारी सेवा में कार्यरत**:–व्यक्ति का नाम जमाबन्दी में खातेदारी/सहखातेदारी के मानदण्डानुसार दो हैक्टयर तक जोत रखता है तो नियमानुसार कृषि आदान अनुदान का भुगतान किया जावेगा। काश्तकार की अन्य व्यवसाय से आय को अपात्रता का आधार नहीं बनाया जावेगा।

14. **बजट की मांग**:–जिला कलक्टर तहसीलदारों द्वारा अपनी तहसील के लिए काश्तकारों की वास्तविक संख्या सूची के अनुसार ही आवश्यक बजट की मांग किए जाने पर विभाग से बजट की ऑन लाइन मांग प्रेषित करेंगे एवं ऑनलाईन डिमांड में यह अंकित करेगें कि "खसरा गिरदावरी के आधार पर आदान अनुदान के लिए तैयार की गई मूल पात्र किसानों की सूची के अनुसार ही ऑनलाईन बजट की मांग प्रस्तुत की गई है।" मूल सूची के अलावा अन्य कृषकों को भुगतान नहीं किया जावे। जिला कलक्टर बजट की मांग किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेवे कि प्रभावित काश्तकारों की तहसीलवार सूची एवं प्रभावित काश्तकारों के बैंक खातों का विवरण (Details) तहसील स्तर पर यथा सम्भव पूर्ण हो चुका है। उक्तानुसार मांग किए जाने पर आवश्यक बजट का आवंटन किया जावेगा।

15. **बैंक खाता**:–समस्त भुगतान बैंक खातों के माध्यम से ऑनलाईन ही किया जावेगा, नकद कोई भी भुगतान नही किया जायेगा। जिन काश्तकारों के वर्तमान में बैंक खाते नहीं है, उनके नये खाते बैंक के माध्यम से खुलवानें होंगे जिसमें राशि ऑनलाईन ट्रान्सफर की जा सके।

16. जिला कलक्टर यह भी सुनिश्चित कर लेवें कि जैसे–जैसे तहसील कार्यालय से प्रभावित काश्तकारों की सूची प्राप्त होती जावे, वैसे–वैसे, बिना विलम्ब के, उन काश्तकारों के बैंक खातों में देय राशि ऑनलाईन हस्तान्तरित की जावें। जिन काश्तकारों के पूर्व में बैंक खाते

नहीं है, उनके खाते अपने स्तर पर नजदीकतम बैंक में खुलवाना सुनिश्चित करें। इस कार्य में राजस्व/कृषि/ग्रामीण विकास की ऐजेन्सियों द्वारा पूर्ण सहयोग किया जावेगा। इसके अतिरिक्त राजकीय राशि का बैंको के पास उपलब्ध रहना दुर्विनियोजन होगा। अतः कृषको के खाते खुलवाना एवं राशि को तुरन्त उनके खाते में हस्तानान्तरित कर सूचित किया जाना सुनिश्चित किया जावें।

17. जिला कलेक्टर लीड बैंक ऑफिसर्स के माध्यम से यह साप्ताहिक जानकारी प्राप्त करें कि जिन बैंकों को कृषकों के खातों में राशि डालने हेतु उपलब्ध कराई है वे खाते ऑपरेशनल हैं तथा यदि कोई खाता गलत है तो वह जानकारी भी बैंक से प्राप्त कर उसे दुरूस्त करवाऐं।

18. कृषकों के खातों में राशि जमा की साप्ताहिक सूचना जिला कलक्टर को उपलब्ध कराई जावेगी। जिला कलक्टर साप्ताहिक प्रगति से राज्य सरकार को अवगत कराऐंगे। भुगतान पूर्ण होने पर जिला कलक्टर व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र (विस्तृत व्यय विवरण) राज्य सरकार को प्रेषित करेंगे। साथ ही, अवशेष राशि (यदि कोई हो) राज्य सरकार को संबंधित बजट मद में समर्पित करेंगे।

भुगतान की कार्यवाही 30 सितम्बर, 2017 तक पूर्ण करली जावें। सभी जिला कलक्टर किसी भी हालत में 30 अक्टूबर, 2017 के पूर्व उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेजना सुनिश्चित करेंगे।

यह सक्षम स्तर पर अनुमोदित है।

15/9/17

शासन सचिव

प्रतिलिपिः-

1. अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग, जयपुर, राजस्थान।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, जयपुर, राजस्थान।

शासन उप सचिव